| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मैसर्स इनोवेटिव कोलोनाईजर्स प्रा.लि. **बनाम** जगदीश<br>**अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/509** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.01.26 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु होना अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–4 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील न चलाने व विड्रा करने प्रस्तुत कर निवेदन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगदीश पुत्र रामदयाल जाति महाजन का स्वर्गवास दिनांक 27.10.2025 को हो गया है, जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है एवं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपस में बाहमी राजीनामा लोक भावना के अनुसार हो गया इसलिये राजीनामा के अनुसार अपीलान्ट उक्त अपील को अब आगे नही चालाना चाहता है एवं विड्रा करना चाहते है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–4 स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर एवं अपील आगे नही चलाये जाने के कारण अपील को खारिज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।<br><br>रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान की ओर से श्री श्यामबाबू पारीक एडवोकेट ने अपनी अण्डरटेकिंग दी तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी।<br><br>हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–4 स्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है। ऐसी स्थिति में अब हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत अपील न चलाये जाने व अपील विड्रो करने, स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(पूनम)<br>संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर।<br>संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |